



दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

भूकंप से इमारतों की सुरक्षा के लिए

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 24.04.2019 और 10.02.2020 की अधिसूचनाओं के प्रावधानों के आधार पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 27.07.2020 को सभी ऐसे उच्च-भवनों जिनकी ऊँचाई 15 मीटर या उससे अधिक है तथा जिनके भवन 21.03.2001 से पूर्व स्वीकृत किए गए थे, के स्वामी/अधिभोगियों को संबंधित क्षेत्रों का संरचनात्मक सुरक्षा जाँच कराने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। दिल्ली की जनता को एतद्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाली इमारतों के लिए पुनः सूचित किया जाता है:

1. 21.03.2001 से पहले स्वीकृत सभी ऊँची इमारतों (15 मीटर या उससे अधिक) के सभी स्वामियों/अधिभोगियों के लिए इन इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा जाँच करवाना अनिवार्य है। यह संरचना जाँच तीन माह की अवधि के भीतर कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. 21.03.2001 से पूर्व स्वीकृत ऐसी इमारतें, जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से कम है तथा जहाँ बड़ी संख्या में जनता एकत्रित होती है, जैसे शैक्षणिक भवन, अस्पताल, संस्थागत भवन, सभा भवन, सिनेमा हॉल, मॉल एवं समूह आवास, के स्वामियों/अधिभोगियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त इमारतों का संरचनात्मक सुरक्षा जाँच तीन माह की अवधि के भीतर करवाना सुनिश्चित करें।
3. भवन की रेट्रोफिटिंग को किसी भी अनधिकृत निर्माण एवं भवन के अनधिकृत उपयोग की स्वीकृति अथवा नियमितीकरण के रूप में नहीं माना जाएगा।
4. दिल्ली नगर निगम के पैनलबद्ध स्ट्रक्चरल इंजीनियर/सरकारी एजेंसियां/सरकारी संस्थाओं के द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा जाँच करवा सकते हैं।
5. संरचनात्मक सुरक्षा जाँच का शुल्क और लागत स्वामियों/अधिभोगियों को वहन करना होगा।
6. संरचनात्मक सुरक्षा जाँच के पश्चात, स्वामियों/अधिभोगियों को रेट्रोफिटिंग/सुधारात्मक उपाय (इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा सुझाई गई हस्तक्षेप अवधि भी शामिल होगी) करने होंगे।
7. निर्धारित समय में अनुपालन नहीं करने की स्थिति में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 24.04.2019 और 10.02.2020 की अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वामी/संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

निदेशक (भवन) डीडीए

हमें फॉलो करें @ddaofficial @official_dda @official_dda_

कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएँ या टोल-फ्री नंबर 1800 110 332 पर कॉल करें।